10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 रु.

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10 रु.

नि.प्र. क्रमांक......................../2011

R-347-I/2011

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इंदौर

1. शोभाबाई बेवा स्व. मालचंद कुलकर्णी
2. संदीप पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी
3. संजय पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी
4. प्रवीण पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी
5. कीर्ति पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी
6. तृप्ति पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी
7. अजय पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी
8. प्रदीप पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी
9. सरिता पिता स्व. मालचंद कुलकर्णी

सभी निवासीगण–ग्राम ऊन तहसील एवं जिला खरगोन

श्री बी.के. गुप्ता अभि. द्वारा यह निग. आज दिनांक 22-2-11 को केम्प इन्दौर पर प्रस्तुत। 22-2-11

..........प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. सुरेश पिता छगन मिलाला
   निवासी–ग्राम ऊन, जमोठी

2. रामलाल पिता सोमाजी मिलाला
   निवासी–ग्राम जगोठी

3. तुलसीराम पिता मांगीलाल जायसवाल
   निवासी–ग्राम जमोठी

4. नरसिंह पिता भूरिया अहिर
   निवासी–ग्राम जमोठी

5. पप्पु पिता नत्थु यादव
   निवासी–ग्राम जमोठी

6. औंकार पिता छितरिया हरिजन
   निवासी–ग्राम जमोठी

3-3-11

22-3-11

..........प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

इसमें प्रार्थीगण श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर, संभाग इंदौर द्वारा नि.प्र. 264/2006–2007 में पारित आदेश दिनांक 09/11/2010 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 347–एक/11 शोभाबाई/सुरेश जिला– खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–11–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6–7–07 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–8–07 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है, और कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–11–2010 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश का कियान्वयन नहीं किया गया है, इसलिए इस निगरानी पर विचार किया जाना औचित्यहीन है । अतः यह निगरानी इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि तहसील न्यायालय आवश्यक रूप से दो माह में अंतिम आदेश पारित करे । यदि तहसील न्यायालय के आदेश का कियान्वयन हो गया हो, तब प्रकरण में दो माह के लिए यथा स्थिति बनाई रखी जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	